संख्याः–3417/33–पी0एम0यू0/2012

प्रेषक,

बी0एम0 मीना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद–गोरखपुर, कुशीनगर, आजमगढ, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, चन्दौली, बहराईच, बलरामपुर, श्रावस्ती, महोबा, सोनभद्र, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीपुर, मिर्जापुर, गोण्डा, एटा/कांशीरामनगर, फतेहपुर, रायबरेली/छत्रपतिशाहूजी महाराजनगर, प्रतापगढ़, बदायूं, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, फर्रूखाबाद, महराजगंज, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी, जालौन।

परियोजना प्रबन्ध इकाई (बी0आर0जी0एफ0) पंचायतीराज विभाग लखनऊ दिनांक 07 जून, 2012

विषयः–बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 के लिये अनुमन्य धनराशि के सापेक्ष जिला योजना तैयार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के विकास हेतु निर्धारित शासन के एजेण्डा में उल्लिखित है कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत धनराशि का जनोपयोगी योजनाओं में आवंटन करते हुये गुणवत्ता परक परियोजनाएं क्रियान्वित की जायेंगी। बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गत वर्ष 2011–12 में अनुमन्य की गयी धनराशि के अनुरूप ही वर्ष 2012–13 के लिये योजना को तैयार किया जाना है। पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार जनपद के लिये एक वर्ष में निर्धारित धनराशि 80 प्रतिशत पंचायतीराज संस्थाओ के लिये तथा 20 प्रतिशत नागर निकायों के लिये आरक्षित है। पंचायतीराज संस्थाओं के लिये आरक्षित 80 प्रतिशत में से 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों हेतु, 10 प्रतिशत क्षेत्र पंचायतों हेतु तथा 20 प्रतिशत जिला पंचायतों हेतु अनुमन्य है।

गत वर्षों के अनुभव से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विभिन्न निकायों/पंचायतो द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं को महत्व न देते हुये व्यक्तिगत हितो के अनुरूप योजनायें अनुमोदित की जाती हैं, जिसके कारण बी0आर0जी0एफ0 जैसी अति महत्वपूर्ण भारत सरकार की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का पूर्ण लाभ जन सामान्य को नही मिल पाता है। आप अवगत है कि बी0आर0जी0एफ0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्रिटिकल गैप्स को पूरा करना है। अतः योजना का निर्माण कराते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जा सकता हैः–

1.ऐसी योजना के प्रस्ताव को ही सम्मिलित किया जायें जिसके लिये अन्य किसी योजना से धनराशि नही मिल रही है और बड़े समूह हित के लिये जिसकी उपादेयता हो। उदाहरण के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण, सामुदायिक शौचालय काम्प्लेक्स का निर्माण, मिनी वाटर सप्लाई योजना जैसे कार्यो को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत स्तर पर ऐसी योजनाओं को लिया जा सकता है जिनका लाभ दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को मिल सके, उदाहरणार्थ पाइप लाईन वाटर सप्लाई योजना। इसी प्रकार जिला पंचायत स्तर पर ऐसी योजना को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिससे सम्पूर्ण जनपद की ग्रामीण जनता को लाभ मिल सके।

2. योजना बनाते समय यह भी ध्यान रखा जाना है कि जनपद में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का जो अनुपात है उसी अनुपात में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को लाभान्वित करने के लिये ही योजनाओ का निर्माण किया जाना है अर्थात योजना में इसका पृथक से उल्लेख किया जाये कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं की कितनी–कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है।

3. योजना विशेष में यह भी देखा जाये कि बी0आर0जी0एफ0 के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर उपलब्ध किसी अन्य योजना यथा राज्य वित्त आयोग, तेरहवा वित्त आयोग, मनरेगा आदि से भी क्या धनराशि प्राप्त हो

GEN I

सकती है ? इस प्रकार योजना बनाते समय स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य योजनाओं की धनराशि को भी कनवर्जेन्स के माध्यम से उपयोग किया जाये।

4. तीनो स्तर की पंचायतो की योजनायें अपनी–अपनी पंचायतों में पारित होनी आवश्यक हैं और योजनायें पारित होने का पंचायत का प्रस्ताव साथ में संलग्न करते हुए उसे प्लान–प्लस पर अपलोड किया जायेगा जिला योजना समिति से अनुमोदित तथा प्लान–प्लस पर अपलोड होने के पश्चात ही धन अवमुक्त करने की प्रक्रिया हो सकेगी।

5. गत वर्षो में यह देखने में आया है कि बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत पारित योजनाओं पर पूर्व में ही अन्य किसी योजना से कार्य करा लिया गया है और इस प्रकार दोहरा भुगतान कर धनराशि का दुरूपयोग किया गया है। अतः इस प्रकार की घटनाओं का रोकने के लिये यह आवश्यक है कि तीनो स्तर की पंचायते योजना निर्माण के संबंध में प्रस्ताव पारित करते समय यह प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव में ही अंकित करे कि प्रस्तावित योजनाओ पर पूर्व में कभी कार्य नही हुआ है, और वे प्रथम बार प्रस्तावित की जा रही है। जिला योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व जिलाधिकारी भी अपने स्तर से इन योजनाओं के संबंध में अन्य ऐजेंसी के माध्यम से रेन्डम चैकिंग कराकर आश्वस्त हो सकते है कि पंचायतो द्वारा पारित योजनाओ पर अन्य किसी कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में कार्य तो नही कराया गया है?

6. पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा योजना निर्माण का कार्य एक माह में पूर्ण कर लिया जाये ताकि जिला योजना समिति के पुनर्गठन होते ही अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा सके।

7. नागर निकायों के निर्वाचन की आचार संहिता सम्प्रति लागू है। अतः इनकी योजनाये उक्त आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त ही तैयार करायी जाय।

कृपया उक्त को शीर्ष प्राथमिकता देते हुये शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(बी0एम0मीना) 7/6/2012
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन सं0:– /33–पी0एम0यू0/2012

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष जिला पंचायत, बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव,ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, सम्बन्धित बी0आर0जी0एफ0 मण्डल।
7. समस्त उप निदेशक (पंचायत) सम्बन्धित बी0आर0जी0एफ0 मण्डल।
8. मुख्य विकास अधिकारी बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
9. अपर मुख्य अधिकारी/नोडल अधिकारी बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुरलीधर दूबे)
विशेष सचिव/परियोजना निदेशक।

GEN